भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3375
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

तमिलनाडु में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

3375. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा देश भर में कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जिला-वार विशेषकर कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इन योजनाओं के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता और सहयोग प्रदान किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं की प्रभावशीलता और पहुंच का कोई मूल्यांकन किया है ;

(घ) विगत तीन वर्षों में तमिलनाडु में आयोजित लोक अदालतों की संख्या और उनके माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) तमिलनाडु में हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और बच्चों के बीच कानूनी जागरुकता और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहींकिया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।इसके अतिरिक्त, नाल्सा ने निवारक और कार्यनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्कीमें भी विरचित की हैं, जिनका कार्यान्वयन विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला और तालुका स्तर पर किया जाता है पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-क** में दिया गया है तथापि, नालसा द्वारा जिला-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

भारत सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित कर रही है अर्थात् वर्ष 2023-24 से नालसा के माध्यम से विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना, जिसका उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिये पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है।30 जून 2025 तक, एलएडीसी कार्यालय देश भर के 662 जिलों में कार्यरत हैं।स्थापना के बाद से ही विधिक सहायता प्रतिवाद परामर्शियों (एलएडीसी) को 8,69,243 आपराधिक मामले सौंपे गए हैं, जिनमें से 5,85,255 मामलों का निपटारा किया गया है।

(ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 सभी स्तरों अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) में मानीटरी और परामर्श समिति (एमएमसी) के माध्यम से विधिक सहायता सेवाओं की मानीटरी और मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ ढांचे का उपबंध करते हैं।ये समितियाँ न्यायालय-आधारित विधिक सहायता परिदान का परीक्षण करने, सौंपे गए मामलों की प्रगति की मानीटरी करने और गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने में पैनल वकीलों और विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शियों (एलए एलएडीसीएस) का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

एमएमसी विधिक सहायता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति और अंतिम परिणामों को ट्रैक करने के लिए रजिस्टर बनाए रखते हैं।वे विधिक सहायता वकीलों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनके प्रदर्शन का आकलन करते हैं, और प्रगति असंतोषजनक होने पर संबंधित प्राधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह देते हैं।यह सतत अनुवर्ती तंत्र विधिक सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है।एमएमसी कमनिष्पादन या कदाचार की पहचान करने के लिए वकील के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करते हैं।इसके अलावा, एलएडीसीएस के अधीन लगे प्रत्येक मानव संसाधन के निष्पादन का मूल्यांकन एसएलएसए द्वारा एसएलएसए द्वारा एसएलएसए के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हर छह महीने में किया जाता है।इसके अतिरिक्त, एलएडीसी द्वारा केसवर्क की मासिक रिपोर्टिंग एसएलएसए द्वारा नालसा को की जाती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय निरीक्षण और डेटा-संचालित मूल्यांकन सुनिश्चित होता है :--

(घ) : पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में आयोजित लोक अदालतों के ब्यौरे और उनके माध्यम से निपटाए गए मामलों/मुद्दों की संख्या निम्नानुसार है:

(i) <u>राज्य लोक अदालत</u>

वर्ष	राज्य लोक अदालतों का आयोजन	मामलों का निपटारा
2022-23	1295	16369
2023-24	1336	34744
2024-25	565	6943
कुल	3196	58056

(ii) <u>स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं)</u>

वर्ष	स्थायी लोक अदालतों का कार्य	बैठकें आयोजित	मामलों का निपटारा
2022-23	32	1121	528
2023-24	32	1119	427

2024-25	32	1067	409
कुल		3307	1364

(iii) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	कुल मामलों का निपटारा
2022	447536
2023	355762
2024	338520
कुल	1141818

(ङ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निशुल्क विधिक सहायता की पात्रता और बच्चों, श्रमिकों, आपदा के शिकारों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, निशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और स्कीमों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण, लोगों के बीच वितरण के लिए विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान (तमिलनाडु सहित) देश भर में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	तमिलनाडु		(तमिलनाडु सहित) देश भर में	
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम	भाग लेने वाले व्यक्ति	विधिक जागरूकता कार्यक्रम	भाग लेने वाले व्यक्ति
2022-23	10,814	13,27,379	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	4,408	7,12,534	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	6,284	10,10,195	4,62,988	3,72,32,850
कुल	21,506	30,50,108	13,83,349	14,96,72,607

उपाबंध-क

08.08.2025 को उत्तर देने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3375 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण - तमिलनाडु में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों के अधीन विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	134	220	341
2	आंध्र प्रदेश	9,473	8,265	11,266
3	अरुणाचल प्रदेश	5,559	5,696	9,236
4	असम	38,335	63,749	82,694
5	बिहार	2,09,809	1,51,413	84,505
6	चंडीगढ़	2,653	2,822	2,951
7	छत्तीसगढ़	44,106	62,164	80,874
8	दादरा और नागर हवेली	28	55	45
	दमण और दीव	24	34	119
9	दिल्ली	96,433	1,21,882	76,526
10	गोवा	2,041	1,558	1,889
11	गुजरात	32,422	40,569	50,467
12	हरियाणा	43,098	76,863	82,194
13	हिमाचल प्रदेश	5,998	7,346	6,222
14	जम्मू-कश्मीर	7,992	11,396	18,602
15	झारखंड	1,45,217	2,69,303	3,28,365
16	कर्नाटक	45,663	53,406	51,245
17	केरल	23,418	36,498	26,571
18	लद्दाख	711	505	324
19	लक्षद्वीप	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	1,91,921	2,25,510	2,33,009
21	महाराष्ट्र	36,663	53,756	59,454
22	मणिपुर	26,929	62,635	99,062
23	मेघालय	2,769	2,371	2,754
24	मिजोरम	5,038	4,801	3,713
25	नागालैंड	7,390	4,603	5,012
26	ओडिशा	11,880	19,289	22,134
27	पुडुचेरी	788	621	616
28	पंजाब	56,448	60,361	65,513
29	राजस्थान	13,472	20,290	22,216
30	सिक्किम	1,127	1,074	901
31	**तमिलनाडु**	**49,570**	**45,180**	**52,528**
32	तेलंगाना	12,615	13,193	16,021
33	त्रिपुरा	5,055	9,964	10,303
34	उत्तर प्रदेश	24,890	29,079	22,732
35	उत्तराखंड	5,386	21,339	34,208
36	पश्चिमी बंगाल	49,714	62,354	92,914
कुल		**12,14,769**	**15,50,164**	**16,57,527**

****